रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D.-(D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 1987/चैत्र 19, 1909
S.No. 180] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 1987/CHAITRA 19, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सं. 164/87—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 376 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 28 या 32 के अंतर्गत आने वाले टाइटेनियम डाइआक्साइड को जब उसका भारत में आयात किया जाए —

(क) उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 60 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है ; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1987 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा.सं. 346/38/87-टी. आर. यू.]

टी० जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th April, 1987

NOTIFICATION

NO. 164|87-CUSTOMS

G.S.R. 376(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts titanium dioxide falling within Chapter 28 or 32 of the First Schedule to the Customs Aariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 60 per cent ad valorem;

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th September, 1987.

[F. No. 346|38|87-TRU]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987